प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 11/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 16/6/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 182 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता स0 589/499 के प0नन0 117/50 के मु0न0 485 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि, प0न0 117/51 के मु0न0 522 के किला न0 4/2 की 0.0570 हैक्ट, 4/3 की 0.0570 हैक्ट, 5/2 की 0.2280 हैक्ट, 6/2 की 0.0700 हैक्ट, 6/3 की 0.0440 हैक्ट, 7/3 की 0.0505 हैक्ट, कुल 0.506 हैक्ट, प.न. 117/52 के मु0न0 564 के किला न0 5 व 6 की 0.506 हैक्ट, प0न0 117/58 के मु0न0 484 के किला न0 1/2 की 0.2270 हैक्ट, 8–9 की 0.506 हैक्ट, 10/2 की 0.2280 हैक्ट, 11/2 की 0.2280 हैक्ट, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, 20/2 की 0.2280 हैक्ट, 21/1 की 0.2280 हैक्ट, 22, 23 की 0.506 हैक्ट, प0न0 117/59 के मु0नन0 523 के किला न0 1/1 की 0.2270 हैक्ट, 2, 3, 8 व 9 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट, 10/2 की 0.2270 हैक्ट, 11/1 की 0.1010 हैक्ट, 12/2 की 0.2400 हैक्ट, 13, 17 की 0.506 हैक्ट, 18/1 की 0.2400 हैक्ट, 19/2 की 0.0630 हैक्ट, 19/3 की 0.0130 हैक्ट, 21/1 की 0.1140 हैक्ट, 21/2 की 0.2280 हैक्ट, 22/2 की 0.1140 हैक्ट, 23/1 की 0.1270 हैक्ट, 24 की 0.2530 हैक्ट, प0न0 117/60 मु0न0 563 के किला न0 1/2 की 0.2280 हैक्ट, 2 की 0.2530 हैक्ट, 3/1 की 0.1270 हैक्ट, 4/1 की 0.1520 हैक्ट, 6/2 की 0.0630 हैक्ट, 7/1 की 0.1130 हैक्ट, 7/3 की 0.0130 हैक्ट, 8/1 की 0.2400 हैक्ट, 9 की 0.2530 हैक्ट, 10/2 की 0.227 हैक्ट, 14/2 की 0.2280 हैक्ट, 15/3 की 0.0510 हैक्ट, 16/1 की 0.215 हैक्ट कुल 11.0565 हैक्ट भूमि मे से 75268/110565 हिस्सा भूमि प्रार्थी स0 1 तथा 35297/110565 हिस्सा भूमि प्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है तथा उक्त वाद भूमि के पैमाईश के आदेश दिनांक 26.04.2023 को पटवारी हल्का को दिये गये तथा पटवारी हल्का बिरकाली द्वारा कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) नोहर के आदेश क्रमांक भू0अ0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

15028 दिनांक 26.04.2023 की पालना में प0न0 137/12 मु0न0 561 व प0न0 137/1 को आधार मानते हुए पड़ोसियान की उपस्थिति में डीजीपीएस मशीन से पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान करवाया गया है तथा उपस्थित मौतविरान के समक्ष फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाया तथा वादीगण को निशान दे दिये गये।

रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता स0 589/499 की कुल 11.2565 हैक्ट भूमि के नहर की पश्चिम तरफ प0न0 117/52 मु0न0 564 के किला न0 15/3 के रकबा 0.0150 हैक्ट भूमि किला न0 16/1 की 0.0215 हैक्ट, प0न0 157/59 के मु0न0 523 के किला नन0 20/1 व 21/2 व प0न0 157/52 के किला न0 5 रकबा लगभग (1.15 बीघा) यानि 0.1380 हैक्ट भूमि व प0न0 117/60 के मु0न0 563 के किला न0 14/2 पर लगभग एवु पूर्वी तरफ प0न0 117/38 के किला न0 1 ता 6 पर लगभग 6 फुट पर पटवारी हल्का खेत के निशान्त दिये गये उन पर काबिज है तथा प्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है ताकि पड़ोसियान के साथ किसी प्रकार का विवाद आदि नही रहे।

उक्त वादी भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा निशान्त दिये गये तथा जिस पर प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि पर काबिज होना चाहते है परन्तु पत्थरगढ़ी के निशान्त नही होने के कारण प्रार्थीगण को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवा पाने के अधिकारी है। यही प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि पर पटवारी हल्का पैमाईश की निशानन्त दिये उपरोक्त निशानन्त पर एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवा देवे तो अप्रार्थी स0 1 के कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसिलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी स0 1 पेरोकार राज ने अपना जवाब पेश किया जिसके विशेष कथन मे अंकित किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता स0 589/499 की कुल 11.0506 हैक्ट खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश के आदेश क्रमांक 15028 दिनांक 26.04.2023 को हल्का पटवारी को दिये गये जिसके पश्चात हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के स्वयं के खर्चे पर डीजीपीएस मशीन से पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान कर निशान पूर्व में दिये जा चुके है। प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी वास्ते आपके न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अगर उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की जाती है तो राज्यहित प्रभावित नही होता है। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अ[illegible] कोर्ट वर्ष 2023 में पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थी [illegible] की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिस पर अप्रार्थी स0 1 को कोई आपत्ति नही है [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की बिरकाली बारानी में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खाता स0 589/499 की कुल

11.0506 हैक्ट भूमि की पत्थरगढ़ी राजस्व रिकार्ड के अनुसार अनुभवी पटवारी एवं गिरदावर के द्वारा प्रार्थी के खर्चे से करवाये जाने के आदेश प्रदान करें। पेरोकार राज ने निवेदन किया की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की जाती है तो राज्यहित प्रभावित नही होता है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 589/499 हैक्ट भूमि में से 75268/110565 हिस्सा भूमि प्रार्थी स0 1 तथा 35297/110565 हिस्सा भूमि प्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी प्रार्थीगण ने पत्थरगढ़ी हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अप्रार्थी स0 1 को कोई आपत्ति नही है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि है जिसका नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के निसर्गिक सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेश दिये जाते है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता स0 589/499 की कुल 11.0506 हैक्ट भूमि का अगर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाया जाकर संबधित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवायें। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भोगराना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:43 IST
Reason: SelfAttested